न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—58 / 2024

प्रार्थीगणः—

1. आम्ब सिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. नारायणसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. पेपसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. अभयसिह पुत्र हेमसिंह जाति राजूपत निवासी पादरू
3. उचबकंवर पत्नी मेहरसिंह जाति रजाूपत निवासी पादरू
4. गंगासिंह पुत्र मेरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू
5. छैलसिंह पुत्र पनेसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू
6. जबरसिह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू
7. जालमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू
8. नेकसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू
9. पदमसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू
10. मालमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू
11. रूपसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू
12. राणसिंह पुत्र भंवसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू
13. लखसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू
14. शम्भूसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू
15. शौर्यवर्धनसिंह पुत्र गंगासिंह नाबालिंग सरंक्षक पिता गंगसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू
16. हीरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजूपत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
17. बैंक मैनेजर आई[illegible]ाडा जिला जालोर
18. बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :–

श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 14.08.2024

प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 816 व 818 रकबा 51.3969 व 0.2186 हैक्टेयर भूमि ग्राम पादरू तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थीगण के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर आई. डी. कार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी आदि में प्रार्थीगण का वास्तविक नाम ''आम्बसिंह पुत्र कानसिंह'' तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 की वल्दियत ''नारायणसिंह पुत्र कानसिंह व पेपसिंह पुत्र कानसिंह''दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी संख्या 1 का नाम '' आमसिंह पुत्र करनसिंह, व प्रार्थी संख्या 2 व 3 की वल्दियत ''नारायणसिंह पुत्र करनसिंह व पेपसिंह पुत्र करनसिंह '' लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 15 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/3272 दिनांक 17.12.2024 द्वारा प्रार्थी संख्या 1 के वास्तविक नाम तथा विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के वल्दियत के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई । प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, जन आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड की प्रति पेश किया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक नाम ''आम्बसिंह पुत्र कानसिंह'' व विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की वल्दियत ''नारायणसिंह पुत्र कानसिंह व पेपसिंह पुत्र कानसिंह'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 816 व 818 रकबा 51.3969 व 0.2189 हैक्टेयर भूमि ग्राम पादरू तहसील सिवाना में प्रार्थी का संख्या 1 नाम ''आमसिंह पुत्र करनसिंह'' तथा संख्या 2 व 3 की वल्दियत '' नारायणसिंह पुत्र करणसिंह व पेपसिंह पुत्र करणसिंह'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड [illegible] प्रार्थीगण अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:47 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, जन आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक नाम ''आम्बसिंह पुत्र कानसिंह'' तथा विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की वल्दियत '' नारायणसिंह पुत्र कानसिंह'' व ''पेपसिंह पुत्र कानसिंह की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का 1 नाम ''आमसिंह पुत्र करनसिंह'' व प्रार्थी संख्या 2 व 3 की वल्दियत '' नारायणसिंह पुत्र करनसिंह व पेपसिंह पुत्र करनसिंह'' नाम दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 816 व 818 रकबा 51.3969 व 0.2186 हैक्टेयर भूमि ग्राम पादरू तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी संख्या 1 का नाम ''आमसिह पुत्र करणसिह' के स्थान पर ''आमसिंह उर्फ आम्बसिंह पुत्र करणसिंह उर्फ कानसिंह'' विप्रार्थी संख्या 2 की वल्दियत '' नारायणसिंह पुत्र करनसिह उर्फ कानसिंह, पेपसिंह पुत्र करनसिंह उर्फ कानसिंह'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:47 IST
Reason: SelfAttested